

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(आर.ई.सर्किल)

क्र.जे.पी.डी./मु.अ.(प्रोजेक्ट प्लानिंग)जयपुर/अधी.अभि.(आर.ई)/ अधि.अभि.(II)/प.146/प्रे. दि 25/10/18

928

स्पष्टीकरण

विषय:- कृषि कनेक्शन नीति-2017 में बिन्दु संख्या 18.3.4.1 एवं 18.3.4.2 के संबंध में।

कृषि कनेक्शन नीति-2017 में बिन्दु संख्या 18.3.4.1 एवं 18.3.4.2 में अनुच्छेद 18.2.4 के मीटर्ड एवं फ्लेट रेट उपभोक्ता से राजस्व निर्धारण राशि लेने के प्रावधान में वर्णित अन्य उच्च श्रेणी उपयोग किया गया भार से पूर्व टाईपिंग की त्रुटि के कारण + चिन्ह अंकित करना रह गया।


अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि कृषि कनेक्शन नीति- 2017 में बिन्दु संख्या 18.3.4.1 में अनुच्छेद 18.2.4 के मीटर्ड रेट उपभोक्ता से राजस्व निर्धारण राशि निम्नानुसार ली जावेगी:-

18.3.4.1 अन्य उच्च श्रेणी में उपयोग किये गये भार की अनुपातिक युनिट्स X 2 X विद्युत दर (अन्य उच्च श्रेणी) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 2 माह के लिए + अन्य उच्च श्रेणी में उपयोग किया गया भार X 2 X स्थाई प्रभार (अन्य उच्च श्रेणी) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 2 माह के लिए।

एवं कृषि कनेक्शन नीति-2017 में बिन्दु संख्या 18.3.4.2 में अनुच्छेद 18.2.4 के फ्लेट रेट उपभोक्ता से राजस्व निर्धारण राशि निम्नानुसार ली जावेगी:-

18.3.4.2 अन्य उच्च श्रेणी में उपयोग किया गया भार x 2 x कृषि विद्युत दर (अनुदान रहित) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 2 माह के लिए + अन्य उच्च श्रेणी में उपयोग किया गया भार x 2 x स्थाई प्रभार (अन्य उच्च श्रेणी) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 2 माह के लिए।

यह आदेश तीनों विद्युत वितरण निगमों पर लागू होगा।


 24/10/18

(वी.डी. बंसल)

अति.मुख्य अभियंता (पी.पी.एम.)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता/अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय/एम.एम./ट्रे.सेफटी एण्ड क्यू.सी.), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
4. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर/भरतपुर/कोटा), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर /भरतपुर/कोटा।
5. अधीक्षण अभियन्ता (पवस/जे.सी.सी./जेपीडीसी/एम.आई.एस./प्लान/विधि/आई.टी) जयपुर डिस्कॉम,.....
6. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/पीपीएण्डएम) अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम अजमेर/जोधपुर।
7. प्रावै. सहा.-प्रबन्ध निदेशक, अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि, अजमेर/जोधपुर।
8. निजी सहायक-निदेशक (तकनीकी/वित्त), जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
9. प्रावैधिक सहायक राज्यमंत्री ऊर्जा विभाग, विद्युत भवन, जयपुर।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर डिस्कॉम, (रामबाग सर्किल), जयपुर।
11. मुख्य लेखाधिकारी (R&C/FM-W&M/IA), सलाहकार (ए.टी.आर.) जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम।
12. सचिव (प्रशासन), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।



अति. मुख्य अभियन्ता (पी.पी.एम.)

जयपुर डिस्कॉम, जयपुर